न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

वाद संख्या :- /2024 राजस्व वाद

1. कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. जोरावर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
3. भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
4. पवन सिंह पुत्र स्व0 श्री इन्द सिंह रावत आयु नाबालिग जरिये संरक्षक वादमित्र बड़े पिता कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
5. साक्षी पुत्री स्व0 श्री इन्द सिंह रावत आयु नाबालिग जरिये संरक्षक वादमित्र बड़े पिता कल्याण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

— वादीगण

बनाम

01. अमर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
02. केशी पत्नी श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
03. छकु बाई पुत्री श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
04. तिलोक सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
05. ईश्वर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
06. शंकर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
07. चन्द्रा बाई पुत्री श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– नीचला बाजार, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
09. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री मुकेश सिंह तंवर —अधिवक्ता वादीग

एकपक्षीय– —–प्रतिवादी संख्या 01 से

पेशोकार सरकार —–अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्य

:: निर्णय ::

दिनांक– 01.04

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 राजस्थान

उपखण्ड अधि
सहायक कलक्

नियम बावत स्थायी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि
गण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 एक ही परिवार के होकर टेका जी के वारीसान है, टेका जी
3 पुत्र भोपाल सिंह, किशन सिंह व रामसिंह हुए, जिनमे रामसिंह के वारीसान वादीगण व भोपाल सिंह के
सान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व किशन जी के वारीसान प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 है।
गण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के परिवार का पारीवारिक सजरा संलग्न परिशिष्ठ "अ" मे
त है। जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक
ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 04 मे आराजी नम्बर 3373/48 रकबा
20 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3374/44 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3375/44 रकबा 0.0885
टयर, आराजी नम्बर 3376/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3377/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर,
जी नम्बर 3378/38 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3379/48 रकबा 0.3025 हैक्टयर, आराजी
र 3380/44 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 2.4408 हैक्टयर, आराजी नम्बर 45 रकबा
35 हैक्टयर, आराजी नम्बर 46 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.1012 हैक्टयर,
जी नम्बर 48 रकबा 0.8600 हैक्टयर कुल किता 13 रकबा 5.2102 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व
र्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित
जियात के साबिक आराजी नम्बर 31, 33/2, 29,30,33/4,32, 33/3 होकर वादीगण एवं प्रतिवादी
या 01 लगायत 07 की पुश्तैनी कृषि आराजियात होकर जमाबंदी संवत 2014 से 2017 मे वादीगण एवं
वादीगण के पूर्वज टेका पुत्र श्री काना के नाम पर दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे वादीगण
पिता व दादा रामसिंह , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व पति भोपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या
लगायत 07 के पिता किशन सिंह के संयुक्त नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात मे पारीवारिक
रे अनुसार वादीगण का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का 1/3 हक हिस्सा,
वादी संख्या 05 लगायत 07 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर
का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात मे 1/3 हक हिस्से पर वादीगण के पिता
दादा रामसिंह जी काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण का 1/3 हक हिस्सा होकर वादीगण
ने हक हिस्से पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे काबिज हो उपयोग उपभोग करते
आ रहे है।दिनांक 10.12.2023 को प्रतिवादीगण मौके पर आये व वादीगण को जबरन जमीन से जबरन
खल करने की कोशिश की, इस पर वादीगण ने कहा कि उक्त आराजियात वादीगण की पुश्तैनी कृषि
जियात है, जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि
आराजियात मे वादीगण का नाम दर्ज नही है। इस कारण से वादीगण को जबरन बेदखल करके रहेगे
आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करके रहेगे। इस पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की
ले प्राप्त की तो पता चला कि जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे वादीगण के पिता व दादा रामसिंह जी
नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज था, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना
गण के पिता व दादा रामसिंह जी का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण के पिता व पति भोपाल सिंह,
न सिंह जी के नाम पर ही दर्ज हो गयी, जो उनके देहान्त उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के
पर दर्ज हो गयी। जो गलत है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती करा, अपना नाम व 1/3
हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण को
न वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर
दा है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र बाबत घौषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश करने
अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश करने की नोबत पेश आयी है। यदि प्रतिवादीगण
गण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगा व प्रतिवादीगण के ना
उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात व
ो अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी
गण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना क

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 04 मे आराजी नम्बर 3373/48 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3374/44 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3375/44 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3376/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3377/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3378/38 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3379/48 रकबा 0.3025 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3380/44 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 2.4408 हैक्टयर, आराजी नम्बर 45 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 46 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8600 हैक्टयर कुल किता 13 रकबा 5.2102 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की पुश्तैनी होकर वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित होकर वादीगण के पिता व दादा रामसिंह का नाम गलत तौर पर विलोपित किया हैं, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के साथ अपना नाम व 1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकाड्ड मे दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है . तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण की साक्ष्य स्वरूप वादी व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रकरण मे जमाबंदी की नकले, साबिक जमाबंदी व दस्तावेजात प्रतिया पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जिसके साबिक आराजी नम्बर 31, 33/2, 29,30,33/4,32, 33/3 होकर जमाबंदी संवत 2014 से 2017 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज टेका पुत्र श्री काना के नाम पर दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे वादीगण के पिता व दादा रामसिंह , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व पति भोपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 के पिता किशन सिंह के संयुक्त नाम पर दर्ज रेकार्ड रही, लेकिन बाद मे राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादीगण के पिता व दादा रामसिंह जी का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण के पिता व पति भोपाल सिंह, किशन सिंह जी के नाम पर ही दर्ज हो गयी। वादीगण की पुश्तैनी होकर वादीगण का 1/3 हक हिस्सा है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के साथ अपना नाम व 1/3 हक हिस्सा दर्ज करवाने दर्ज कराने का निवेदन किया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात जो कि जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे वादीगण के पिता व दादा रामसिंह , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व पति भोपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 के पिता किशन सिंह के संयुक्त नाम पर दर्ज रेकार्ड रही, लेकिन वादीगण के पिता व दादा रामसिंह का नाम गलत तौर पर विलोपित किया है। जबकि वादीगण का हक अधिकार निहित है। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के साथ वादीगण को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 04 मे आराजी नम्बर 3373/48 रकबा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3374/44 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3375/44 रकवा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3376/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3377/48 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3378/38 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3379/48 रकबा 0.3025 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3380/44 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 2.4408 हैक्टयर, आराजी नम्बर 45 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 46 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8600 हैक्टयर कुल किता 13 रकबा 5.2102 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजियात मे 1/3 हक हिस्सा वादीगण व 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 के नाम पर दर्ज करायी जावे व प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान आदि नही करे व वादी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)